न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–107/14 दायर दिनांक:– 03.11.2014

जीसीएमएस नं. 2016/00067

1. जगदीश
2. कृष्णमोहन
3. मनोज
4. बृजेश

पिसरान खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

––सायलान

बनाम

1. गिरधारी
2. मुरारी
3. कैलाश
4. गजानंद
5. गोविन्द
6. गोपाल

पिसरान रामजीलाल जाति सुनार निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

7. शकुन्तला पुत्री रामजीलाल पत्नि कन्हैया जाति सुनार निवासी सेवा तहसील गंगापुर सिटी हाल वजीरपुर जिला गंगापुर
8. शांति पुत्री रामजीलाल पत्नि राजाराम जाति सुनार
9. सरस्वती पुत्री रामजीलाल पत्नि सीताराम जाति सुनार निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
10. कल्लो पुत्री रामजीलाल पत्नि तुलसी जाति सुनार निवासी पीलौदा तहसील गंगापुर जिला गंगापुर
11. रामादेवी पत्नि रघुवीर जाति जांगिड निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली
12. सब रजिस्ट्रार तहसील हिण्डौन/उपतहसील कटकड
13. तहसीलदार तहसील हिण्डौन

–– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायलान

2.श्री शांति स्वरूप शुक्ला अधिवक्ता गैरसायलान

न01 लगायत 10

3 अप्रार्थी सं0 11 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गयी

निर्णय दिनांक 15.04.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायलान की कब्जाशुदा व खातेदारी की भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 3461 रकबा [illegible]33 है0, 3460/4495 रकबा 0.26 है0, 3462/4496 रकबा 0.26 है0, 3469 रकबा 0.10 है0 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है, जो वर्तमान रेवन्यु रिकॉर्ड व जमाबंदी संवत 2067–2070 में सायलान के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Scanned with CamScanner

नाम है। आराजीयात मुतजिक्रा मद न. 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को सेटलमेंट द्वारा साविक न. 550/2973, 550/1/3, 550/1/1, 550 मिन से बनाकर अंकित किये है।

आराजी खसरा न. 3460 रकबा 0.24 है0, 3462 रकबा 0.19 है0, 3463 रकबा 0.14 है0, 3464 रकबा 0.12 है0, 3465 रकबा 0.33 है0, 3466 रकबा 0.03 है0, 3467 रकबा 0.51 है0, 3468 रकबा 0.54 है0, 3470 रकबा 0.12 है0, 3477 रकबा 0.15 है0, 3478 रकबा 0.30 कुल किता 11 रकबा 2.67 है0 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में स्थित है जो पूर्व में गैरसायलान न0 1 लगायत 10 के पिता रामजीलाल पुत्र साधु जाति सुनार के नाम दर्ज थे, जिसमें 1/3 हिस्सा रामजीलाल द्वारा रामादेवी पत्नि रघुवीर कटारिया को बेचान कर दिया, खसरा न. 3463, 3468 के 2/3 हिस्से को जरिये दान गजानंद पुत्र रामजीलाल सुनार के नाम खातेदारी करा दी तथा विभाजन से खसरा न0 3467 रकबा 0.51 है0, खसरा न0 3463/1 रकबा 0.06 है0, 3464/1 रकबा 0.10 है0, 3477 रकबा 0.15, 3465/1 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.88 है0 रामादेवी के नाम, खसरा न0 3463/2 रकबा 0.08 है0, 3464/2 रकबा 0.02 है0, 3465/2 रकबा 0.27 है0, 3460 रकबा 0.24 है0, 3462 रकबा 0.19 है0, 3470 रकबा 0.12 है0, 3478 रकबा 0.30 है0 कुल किता 7 रकबा 1.22 है0 रामजीलाल के नाम, खसरा न0 3468 रकबा 0.54 है0 गजानंद पुत्र रामजीलाल के नाम रहा तथा खसरा न0 3466 रकबा 0.03 है0 की खातेदारी रामजीलाल पुत्र साधु 2/3 तथा रमादेवी के नाम 1/3 हिस्सा रहा, आराजीयात मुतजिक्र का मद न0 4 प्रार्थना पत्र सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेंट साबिक न0 550 मिन, 550/1/1, 550/1/3, 550/1/2 से बनाकर अंकित किये है, जबकि उक्त आराजी खसरा न0 550/1/1 रकबा 10 बीघा गैरसायलान न0 1 ता 10 के पिता रामजीलाल को आवटंन हुयी।

आराजी खसरा न0 3454 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 3455 रकबा 0.29 है0, 3456 रकबा 0.19 है0, 3457 रकबा 0.14 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 है0 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में स्थित है जो वर्तमान में देवीलाल पुत्र मांग्या मीना के नाम दर्ज है। पूर्व में उक्त आराजी रामजीलाल पुत्र साधु सुनार के नाम थी उक्त आराजी दौराने सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा साबिक खसरा न0 548, 549 से बनाकर अंकित कर दी है तथा साबिक न0 के अनुसार मौजुदा शीट मे भलीप्रकार अंकित है।

गैरसायल न0 1 लगायत 10 के पिता रामजीलाल को साबिक खसरा न0 550/1/1 में 10 बीघा जमीन आंवटित हुयी थी, जो रेवेन्यु कर्मचारियों ने हक चौसाला जमाबंदी खसरा न0 बदलता रहा, जैसे आवंटिन रजिस्टर में दर्ज खसरा न0 550/1/1 तथा जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में ख0न0 550/2 हो गया, जबकि सेटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा उक्त साबिक न0 550/1/1, 550/1/3, 550/1/2, 550 मिन के नवीन नम्बर बनाकर अंकित कर दिये, तथा मौके पर कब्जे व साविक नम्बरान व ट्रैस नहीं बनाकर एकदम गलत मिलान क्षेत्रफल व सीट बनादी है, तथा जहा सायलान खसरा न0 3462 पर काबिज है, उसे साविक खसरा न0 550/1/2 से बनाकर गैरसायलान न0 1 लगायत 10 के पिता रामजीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया, जबकि जहा सायलान का बिज नहीं है, वहा खसरा न0 3469 बनाकर साविक खसरा न0 550/1/1, 550/1/3 से बनाकर अंकित करदी है, इस प्रकार सायलान खसरा न0 3462 की खातेदारी अपने नाम कराने के मुश्तहक है, तथा मौजुदा रेवेन्यु रिकॉर्ड, व नक्शा को साविक [illegible] मताबिक दुरस्त करवाने का हकदार है।

सायलान के पिता नाम साबिक खसरा न0 [illegible]/3 रकबा 5 बिस्वा, खसरा न0 550/2973 रकबा 18 बिस्वा, खसरा न0 2981/550 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 2982/550 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 1 ही स्थान पर थे, खसरा न0 2981/550, 2982/550 को रेवेन्यु कर्मचारियों द्वारा 550 मिन ही अंकित किया तथा उसी के आधार पर मिलान क्षेत्रफल बनाया है तथा मौके पर काबिज एवं साबिक रिकॉर्ड के अनुरूप नवीन रिकॉर्ड नहीं बनाया है जिसे सायलान दुरूस्त कराने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Scanned with CamScanner

साविक खसरा न0 550/1/3 रकबा 5 बिस्वा का नवीन खसरा न0 3460, 3469 में हिस्सा माना है, जबकि खसरा न0 3460 को गैरसायलान के पिता के नाम तथा 3469 को सालयान के नाम खातेदारी दर्ज किया है, जबकि खसरा न0 3469 पर सायलान काबिज नहीं है, तथा साबिक खसरा न0 550/1/3 सायलान की खातेदारी में है, तथा नवीन खसरा न0 3469 को सायलान के नाम रहने पर गैरसायलान के आराजी एक चक नहीं रहती है इस प्रकार उक्त आराजी खसरा न0 3469 पर गैरसायलान काबिज है तथा खसरा 3462 पर सायलान काबिज है, तथा अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है।

सायलान साबिक खसरा न0 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के बराबर रकबा 95 ऐयर प्राप्त करने के अधिकारी है, इस प्रकार सायलान आराजी खसरा न0 3462 रकबा 19 ऐयर, खसरा न0 3461 रकबा 53 ऐयर, 3462/4496 रकबा 26 ऐयर, एवम 3460/4495 रकबा 26 ऐयर में से 16 ऐयर रकबा इस प्रकार कुल किता 4 कुल रकबा 95 ऐयर पर सायलान काबिज एव दाखिल है, एवम 95 ऐयर की खातेदारी सायलान प्राप्त करने के मुश्तहक है।

गैरसायलान का साबिक रकबा 10 बीघा रहा है, जिसमें से कु नवीन कुल रकबा 2.57 है0 सेटिलमेंट में तरमीम किया है, जो साविक के मुताबिक 17 ऐयर रकबा अधिक है, एवम गैरसायलान मौके पर खसरा न0 3469 रकबा 10 ऐयर पर काबिज है, इस प्रकार गेरसायलान खसरा न0 3460, 3463, 3464, 3465, 3466, 3468, 3477, 3478, 3469 कुल किता 11 कुल रकबा 2.58 है0 पर काबिज एवम दाखिल है, जो कि साबिक के अनुसार 8 ऐयर अधिक है।

सायलान के साबिक रिकॉर्ड के अनुसार नवीन रिकॉर्ड में बढा रकबा खसरा न0 3460/4495 के उत्तरी भाग का 9 ऐयर रकबा तथा गेरसायलान के खसरा न0 3460 के पश्चिमी भाग का 8 ऐयर रकबा का एक नवीन नंबर कायम करते हुये कुल 17 ऐयर रकबा सिवाचयक घोषित किया जावे।

गैरसायालान 1 लगायत 10 के पिता रामजीलाल फौत हो गये है, जिसने अपने पीछे अपने 6 पुत्र एवम 4 पुत्रियों को छोडा है, जो उक्त रामजीलाल के जायज वारिस कायम मुकाम कानूनी है, जो उक्त रामजीलाल के तर्कपर काबिज एवम काश्त है, तथा जिम्मेदार नतीहजा है।

बाका दिनांक 26.10.2014 का है कि सायलान अपनी आराजी खसरा न0 3462 को अगली फसल के लिये तैयार करा रहे थे, कि गैरसायलान 1 लगायत 10 एक राय होकर आ गये तथा बोले कि उक्त आराजी से चले जाओ, इस आराजी की खातेदारी हमारे नाम है, इसपर अब हम काश्त करेंगें, इसपर सायलान द्वारा उन्हे समझाया कि उक्त आराजी हमेशा से हमारे कब्जे में रही है, तथा पूर्व में हमारे पिता के नाम थी, अगर सेटिलमेंट ने कोई गलती करदी है, तो उसे तहसील से चलकर दुरूस्त करा लेते है, तुम या तुम्हारे पिताजी कभी भी इस आराजी पर काबिज नहीं रहे, तथा तुमने उक्त आराजी के दोनों तरफ की आराजी को बेचान कर दिया है, तुम नाहक ही हमे क्यों परेशान करते हो, इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि उक्त आराजी से तुम्हे बेदखल कर देगें, और कब्जा करेगें, नही तो लठ्ठ वाले व्यक्ति को बेचान [illegible] जो तुमसे दो मिनट मे कब्जा छीन लेगा, या रहन व्यय कर देगें। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया, तथा अनुनय विनय की तथा गांव के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने गैरसायलान को समझाया लेकिन गैरसायलान अजखुद मानने को तेयार नहीं है, तथा अपनी हठधर्मी पर आमदा है। इस प्रकार गैरसायलान अपनी गैर कानूनी कुवेष्टा में कामयाब हो [illegible] तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से दृव्य में संभव नहीं हो सकेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। परिस्थितियों में सायलान का प्राईमाफेशी मामला बखुबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान खसरा न0 3462 रकबा 0.19 ऐयर ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन गैरसायलान के कब्जे काश्त में मजामहत मदाखलत नहीं करे, आराजी से बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, आराजी को ना काबिल काश्त नहीं बनावे, खुर्दबुर्द नहीं करे नाहि उक्त आराजी को रहनव्यय करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना हि किसी अन्य से करावे जिससे हकुक सायलान पर विपरीत प्रभाव पडे मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान की तलवी करायी गई। गैरसायल नं0 01 ता 10 की ओर से श्री शांतिस्वरूप शुक्ला एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं प्रकरण में गैरसायल नं0 01 ता 10 की ओर से जबाव पेश किया गया, जिसमें गैरसायलान वकिल द्वारा प्रार्थना पत्र के मद न0 1, 13 को स्वीकार किया है एवं मद न0 2 लगयात 12, 14 लगायत 16 को अस्वीकार किया है। एवं प्रतिपक्षीगण विवादित आराजियात के रिकॉर्ड खातेदार, काश्तकार है। कानून रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता दावा एवं दरकाश्त हाजा इसी बिना पर खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिपक्षीय गण को सायलान को विशेष हर्जा दिलाया जावे जबाव शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल नं0 11 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 21.04.2024 द्वारा गैरसायल नं0 11 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं गैरसायल न0 12 व 13 को जबाव हेतु बार–बार अवसर देने के बावजूद जबाव पेश नहीं करने पर जबाव आदेशिका दिनांक 21.04.2022 द्वारा जबाव बन्द किया गया प्रकरण में सायलान वकील की बहस सुनी गई सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा गैरसायलान के अधिवक्ता द्वारा उक्त बिन्दुओं को नकारते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आराजी खसरा न. 3460 रकबा 0.24 है0, 3462 रकबा 0.19 है0, 3463 रकबा 0.14 है0, 3464 रकबा 0.12 है0, 3465 रकबा 0.33 है0, 3466 रकबा 0.03 है0, 3467 रकबा 0.51 है0, 3468 रकबा 0.54 है0, 3470 रकबा 0.12 है0, 3477 रकबा 0.15 है0, 3478 रकबा 0.30 कुल किता 11 रकबा 2.67 है0 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में स्थित है जो पूर्व में गैरसायलान न0 1 लगायत 10 के पिता रामजीलाल पुत्र साधु जाति सुनार के नाम दर्ज थे, जिसमें 1/3 हिस्सा रामजीलाल द्वारा रामादेवी पत्नि रघुवीर कटारिया को बेचान कर दिया, खसरा न. 3463, 3468 के 2/3 हिस्से को जरिये दान गजानंद पुत्र रामजीलाल सुनार के नाम खातेदारी करा दी तथा विभाजन से खसरा न0 3467 रकबा 0.51 है0, खसरा न0 3463/1 रकबा 0.06 है0, 3464/1 रकबा 0.10 है0, 3477 रकबा 0.15, 3465/1 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.88 है0 रामादेवी के नाम, खसरा न0 3463/2 रकबा 0.08 है0, 3464/2 रकबा 0.02 है0, 3465/2 रकबा 0.27 है0, 3460 रकबा 0.24 है0, 3462 रकबा 0.19 है0, 3470 रकबा 0.12 है0, 3478 रकबा 0.30 है0 कुल किता 7 रकबा 1.22 है0 [illegible] के नाम खसरा न0 3468 रकबा 0.54 है0 [illegible] रकबा 0.03 है0 की खातेदारी गजानंद पुत्र रामजीलाल के नाम रहा तथा खसरा [illegible] आराजीयात मुतजिक्र का रामजीलाल पुत्र साधु 2/3 तथा रमादेवी के नाम 1/3 [illegible] साबिक न0 550 मिन, मद न0 4 प्रार्थना पत्र सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा [illegible] से बनाकर अंकित किये है, जबकि उक्त आराजी 550/1/1, 550/1/3, 550/1/2 से बनाकर अंकित किये है, जबकि उक्त आराजी खसरा न0 550/1/1 रकबा 10 बीघा गैरसायलान न0 1 ता 10 के पिता रामजीलाल को आवटंन हुयी। जोकि साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक हाल रिकॉर्ड में भूप्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के भूमि बढा दी गई है, साथ ही खसरा नं0 3460/4495 के उत्तरी भाग 9 ऐयर रकवा एवं गैरसायल के खसरा नं0 3460 के पश्चिम भाग का 8 ऐयर रकवे का एक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नवीन खसरा नं० कायम करते हुए 17 ऐयर भूमि अधिक बढ़ा दी गई है, जो राजकीय होनी चाहिए थी। चूंकि उक्त समस्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त प्रकरण का निस्तारण मूल दावे के फैसले पर होगा। तब तक दौराने दावा पेचिदिगियां पैदा न हों, मौके एवं रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन को रोकने, एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 03.11.2014 को जारि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ता फैसला होने तक स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान विवादित आराजी की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ता फैसला बनाए रखें।

आदेश आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/4/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner